

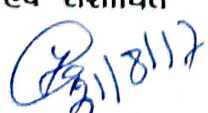
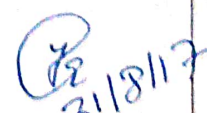
आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	<u>न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी, छतरपुर (पलामू)।</u> <u>विविध वाद संख्या-140/2017</u> <u>धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता</u> मैमुन बीबी ----- प्रथम पक्ष <u>बनाम</u> कालदेव साव वगैरह ----- द्वितीय पक्ष 31.8.17 यह प्रक्रिया धारा 144 दं० प्र० सं० के अन्तर्गत आवेदिका मैमुन बीबी पति जुमन मियाँ ग्राम-तेलियाडीह थाना-नौडीहा बाजार जिला-पलामू ने 1. कालदेव साव पिता जपाली साव 2. बनारसी साव पिता रामटहल साव 3. राजू साव पिता स्व० बुटन साव 4. मोहन साव पिता स्व० बुटन साव 5. राजेश साव पिता मराछु साव 6. अवधेश साव पिता मराछु साव 7. दुखन साव पिता जीलू साव सभी ग्राम- तेलियाडीह थाना- नौडीहा बाजार जिला-पलामू के विरुद्ध कार्रवाई हेतु आवेदन पत्र दाखील किया गया। उक्त आवेदन पत्र के आलोक में थाना प्रभारी, नौडीहा बाजार से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई। थाना प्रभारी, नौडीहा बाजार ने डी० आर० न० 358/17 दिनांक -	१/८/१७ १/८/१७

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर गई कार्रवाई बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	30.06.2017 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया। जाँच प्रतिवेदन में दोनों पक्षों के बीच उक्त भूमि के विवाद को लेकर कोई अप्रिय घटना नहीं घट सके तथा शांति-व्यवस्था बनी रहे इसलिए धारा 144 दं० प्र० सं० लगाने एवं निरोधात्मक कार्रवाई हेतु अनुशंसा किया गया है। विवादित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है- मौजा- तेलियाडीह खाता सं०-20 प्लॉट सं०-$\frac{443}{13}$ डी० कुल रकबा 1.60 डी० विवादित रकबा 1.56 डी० जिसकी चौहद्दी उत्तर-रास्ता दक्षिण-नाला पूरब-परती कदीम पश्चिम-सहेबा बीबी के लिए विवादित भूमि के उपर धारा 144 दं० प्र० सं० की प्रक्रिया कायम कर उभय पक्षों को जाने से रोक लगाते हुए कारण पृच्छा की मांग की गई। उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा दाखील किये। प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि विवादि भूमि मौजा तेलियाडीह थाना-नौडीहा बाजार के खाता सं० 20 प्लॉट सं० $\frac{443}{B}$ जिसकी चौहद्दी उत्तर-रास्ता दक्षिण-नाला पूरब-परती कदीम पश्चिम-सहेबा बीबी सरकार के द्वारा बंदोबस्ती वाद सं०-335/2002-03 से प्राप्त है तथा उक्त भूमि का सरकारी रसिद निर्गत होते चला आ रहा है एवं बंदोबस्ती के पश्चात से उक्त भूमि पर मेरी दखल-कब्जा चली आ रही है। बंदोबस्ती के बाद 4 डी० भूमि में प्रथम पक्ष के द्वारा 7 नग महुआ 5 नग गम्हार, 6 नग सिसम एवं 3 नग आम का पेड़ लगाया गया है। प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि लिपिकिय भूल के कारण प्लॉट सं०-$\frac{443}{B}$ के स्थान पर $\frac{443}{13}$ दर्ज हो गया है। द्वितीय पक्ष के कारण पृच्छा का सार यह है कि मौजा तेलियाडीह खाता सं०-20 के अंतर्गत प्लॉट को श्याम बिहारी सिंह से दलभजन सिंह ने खरीद किये थे और खरीदगी के बाद दलभजन सिंह दखल-कब्जा में	



आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	आये तथा उनके मृत्यु के बाद उनके सम्पत्ति पर उनके पुत्र विशुनदेव सिंह, इंद्रदेव सिंह एवं धर्मदेव सिंह का शांतिपूर्वक दखल-कब्जा एवं स्वामित्व कायम हुआ और इन लोगों के बीच आपस में सुविधानुसार बटवारा हुआ और बटवारा के आधार पर दखल-कब्जा में आये। द्वितीय पक्ष का यह भी कथन है कि मौजा तेलियाडीह के खाता सं० 20 प्लॉट सं० 443 रकबा $0.26 \frac{1}{4}$ एकड़ भूमि को निबंधित विक्रय पत्र सं० 9216/9041 दिनांक 07.11.2014 को युगलकिशोर सिंह से रमेश साव, मोहन साव एवं बनारसी साव ने खरीद किया है। मौजा तेलियाडीह के खाता सं० 20 प्लॉट सं० 443 रकबा $0.33 \frac{3}{4}$ एकड़ भूमि निबंधित विक्रय पत्र सं० 8417/8196 दिनांक 11.09.2013 को अलखदेव नारायण सिंह से कालदेव प्रसाद एवं बनारसी साव ने कय किया है। मौजा तेलियाडीह के खाता सं० 20 प्लॉट सं० 443 रकबा $0.33 \frac{3}{4}$ एकड़ भूमि निबंधित विक्रय पत्र सं० 8418/8197 दिनांक 11.09.2013 को अलखदेव नारायण सिंह से रमेश साव एवं मोहन साव ने खरिद किया है। मौजा तेलियाडीह के खाता सं० 20 प्लॉट सं० 443 रकबा $0.56 \frac{1}{4}$ एकड़ भूमि निबंधित विक्रय पत्र सं० 4788 दिनांक 10.06.2013 को दौलत कुंवर से कालदेव साव, रमेश एवं बनारसी साव ने खरिद किया है। मौजा तेलियाडीह के खाता सं० 20 प्लॉट सं० 443 रकबा $0.33 \frac{3}{4}$ एकड़ भूमि निबंधित विक्रय पत्र सं० 8417/8196 दिनांक 11.06.2013	



आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	को अलखदेव नारायण सिंह से कालदेव प्रसाद, बनारसी साव ने खरीद किया है और खरिदगी के बाद शांतिपूर्वक दखल-कब्जा एवं स्वामित्व क्रेता का चला आ रहा है। इस प्रकार उभय पक्षों के कारण पृच्छा एवं उनके विज्ञ अधिवक्ता के बहस सुनने से स्पष्ट होता है कि दोनों पक्ष ^{के 20/1} विवादित भूमि के लिए अपना-अपना दास्तावेज एवं दखल-कब्जा का दावा किया जा रहा है, जिससे शांति भंग होने का खतरा विद्यमान है। जिसका निपटारा वास्तविक दखल-कब्जा की घोषण कर शांति व्यवस्था बनायी जा सकती है। शांति भंग होने का विवाद अचल सम्पत्ति को लेकर है, जिसका एक मात्र निदान धारा 145 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत दोनों पक्षों से साक्ष्य लेकर किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। तदनुसार इस प्रक्रिया को दं०प्र०सं० की धारा 145 के अन्तर्गत परिवर्तित की जाती है। पक्षकारों से ^{उत्तर} इनका दावे का लिखित कथन एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अभिलेख दिनांक <u>26-9-17</u> को अग्रोत्तर कार्यवाई के लिए प्रस्तुत करें। लेखापित एवं संशोधित  31/8/17 अनुमंडल दण्डाधिकारी, छतरपुर(पलामू)।  31/8/17 अनुमंडल दण्डाधिकारी, छतरपुर(पलामू)।	नोटिस निर्गत आपान 1225 दिनांक 8-11-17